FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

[illegible] .... बनाम .... [illegible]

किस्म मुकदमा .... [illegible] .... नं. 07/2020 .... सन् 2020 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/01/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/02/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जिनको करीब 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/05/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested

05/05/2020 पत्रावली आज पेश हुई कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी डिग्गर आयो के अवकाश होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक - को पेश हो।

07/7/2020 प्रार्थी वकील उप0 / विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत मेरा मेड़ आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों पर जो पुरानी मेड व कांटे आए हुए है जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों का सही माप नहीं हो रहा है। बरसात की आवक होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के के खेतों को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत में खेती कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच तनाव बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत की पक्की पैमाईश करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पैमाईश आवेदन को स्वीकार कर पैमाईश के आदेश किये जावे।

अतः ~~प्रार्थी के आवेदन~~ प्रार्थी की पैमाईश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी की खातेदारी खेत की पक्की पैमाईश मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा 500/- करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से खारिज हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2020/ 483 | दिनांकः– 07/07/2020

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

अणदाराम पुत्र उमेदाराम जाति जाट
निवासी बायतु चिमनजी

अचलाराम पुत्र धर्माराम वगैरा
निवासी बायतु चिमनजी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 07 /2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा देरामोणि पोटलियों की ढाणी पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 583, 644, 683, 756 रकबा क्रमशः 21.10, 11.15, 13. 10, 21.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 484–88 | दिनांकः– 07/07/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अणदाराम पुत्र उमेदाराम
4. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र धर्माराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested